

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 570/2015

संस्थापित दिनांक 10/08/2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

- राजेश पुत्र रामचरन तोमर उम्र 43 साल  
निवासी— वार्ड क्र0 08 गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 294, 324, 506 भाग—2 भा0द0सं0)  
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।)  
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री राकेश भटेले।)

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 26.02.2018 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 25/09/14 को 11:30 बजे बस स्टेण्ड गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी पप्पन खों को माँ बहन की अश्लील गालियों देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी पप्पन खों को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय फरियादी पप्पन खों की धारदार पत्थर से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 294, 506 भाग—2 एवं 324 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.2014 को दिन के 11:30 बजे फरियादी पप्पन बस स्टेण्ड पर खड़ा था तभी आरोपी राजेश तोमर उसके पास आया था। आरोपी ने उससे उधारी के पांच रूपए मांगे थे, उसने पांच रूपए बाद में बापस करने के लिए कहा था। इसी बात पर आरोपी राजेश ने जमीन से पत्थर उठाकर उसके सिर में मार दिया था, फिर उसने पत्थर फरियादी के माथे पर बायीं तरफ मारा था, जिससे फरियादी के खून निकलने लगा था। आरोपी ने जाते समय जान से मारने की धमकी दी थी। मौके पर अजाक पठान ने घटना देखी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र0 312/14 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के

दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 25.09.2014 को 11:30 बजे बस स्टेण्ड गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी पप्पन खों को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी पप्पन खों को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
3. क्या घटना दिनांक को फरियादी पप्पन खों के शरीर पर उपहतियां थी ? यदि हां तो उनकी प्रकृति ?
4. क्या उक्त उपहतियां फरियादी पप्पन खों को आरोपी और केवल आरोपी द्वारा ही कारित की गई ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी पप्पन खों अ0सा0 01, डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा0 02, ए0एस0आई0 तहसीलदार अ0सा0 3 एवं अजाक अ0सा0 04 को परीक्षित कराया गया है। जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

##### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी पप्पन अ0सा0 01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन के लगभग डेढ़ साल पहले की सुबह साढ़े 11 बजे की है। वह बस स्टेण्ड पर खड़ा था तभी आरोपी राजेश तोमर ने आकर उससे उधारी के पांच रुपए मांगे थे। उसके पास पांच रुपए नहीं था। आरोपी मां बहन की गालियां बकने लगा था, मां बहन की गालियां उससे सुनने में बुरी लगी थी। इस प्रकार फरियादी पप्पन अ0सा0 01 ने अपने कथन में आरोपी द्वारा उसे मां बहन की गालियां देना बताया है। किन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी ने वास्तविक रूप से कौन से अश्लील शब्द अभिव्यक्त किये थे, जिन्हें सुनकर फरियादी को क्षोभकारित हुआ था। फरियादी पप्पन अ0सा0 01 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसे गालियां सुनने में बुरी लगी थी। परन्तु यह बात उसके द्वारा प्र0पी0 01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपने पुलिस

कथन में नहीं बताई गई है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी पप्पन अ0सा0 01 के कथन प्र0पी0 01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन से विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी पप्पन अ0सा0 01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया गया है कि आरोपी ने उसे मां बहन की गालियां दी थी, परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी ने वास्तविक रूप से कौन से अश्लील शब्द अभिव्यक्त किये थे, जिन्हें सुनकर उसे क्षोभ उत्पन्न हुआ था। ऐसी स्थिति में भादसं की धारा 294 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भादसं की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

#### विचारणीय प्रश्न क्र0 02

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी पप्पन अ0सा0 01 ने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि झगड़े के दौरान आरोपी ने उसे जान से खत्म कर देने की धमकी दी थी। इस प्रकार फरियादी पप्पन अ0सा0 01 ने अपने कथन में आरोपी द्वारा उसे जान से खत्म कर देने की धमकी दिया जाना बताया है। परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि आरोपी द्वारा दी गई धमकी को सुनकर उसे भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भादसं की धारा 506 भाग-2 को प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी द्वारा दी गई धमकी वास्तविक हो और उसे सुनकर फरियादी को भय एवं अभित्रास कारित हुआ हो। मात्र क्षणिक आवेश में दी गई तुच्छ धमकियों से भादसं की धारा 506 भाग-2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी पप्पन अ0सा0 01 ने यह तो बताया है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि आरोपी द्वारा दी गई धमकी को सुनकर उसे भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भादसं की धारा 506 भाग-2 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भादसं की धारा 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

#### विचारणीय प्रश्न क्र0 03

9. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा0 02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 25.09.2014 को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक बी0एल0 जामले द्वारा लाये जाने पर आहत पप्पन का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने आहत पप्पन के तीन चोटे पाई थी जिनमें चोट क्र0 1 सिर में दाहिनी तरफ पेराइटल रीजन में कटा हुआ घाव, चोट क्र0 02 सिर में दाहिने तरफ पेराइटल रीजन में चोट क्र0 1 के पीछे कटा हुआ घाव एवं चोट क्र0 03 सिर में ऑक्सीपटल रीजन में कटा हुआ घाव स्थित था। आहत के नाक व मुंह से एल्कोहल की बदबू आ रही थी। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटे कठोर एवं धारदार वस्तु से आना संभावित थी एवं सामान्य प्रकृति की थी। उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 02 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटें गिरने से आना संभव है।

10. फरियादी पप्पन अ0सा0 01 ने भी अपने कथन में झगड़े के दौरान उसके सिर में चोट आना बताया है। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी का पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन उसके शरीर पर चोटे होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। प्र0पी0 01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी पप्पन अ0सा0 01 के सिर में चोटे होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी पप्पन अ0सा0 01 का कथन प्र0पी0 01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। उक्त बिन्दु पर फरियादी के कथनों की पुष्टि डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा0 02 द्वारा भी की गई

है। डॉ० धीरज गुप्ता चिकित्सकीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी हैं। उसकी फरियादी से कोई हितबद्धता एवं आरोपी से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है। उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी पप्पन अ०सा० 01 के शरीर पर चोटें होने के बिन्दु पर अखण्डनीय भी रहा है। एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है।

11. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी पप्पन के शरीर पर उपहतियां थी जिनकी प्रकृति साधारण थी।

#### विचारणीय प्रश्न क्र० 04

12. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि उक्त उपहतियां फरियादी पप्पन को आरोपी और केवल आरोपी द्वारा ही कारित की गई थी। उक्त संबंध में फरियादी पप्पन अ०सा० 01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग डेढ़ साल पहले की सुबह 11:30 बजे की है। वह बस स्टैंड के पास खड़ा था तभी आरोपी राजेश तोमर वहां आ गया था। आरोपी ने उससे उधारी के पांच रूपए मांगे थे। उसके पास पांच रूपए नहीं थी। इसी बात पर आरोपी ने पत्थर उठाकर उसके सिर में मारा था। पत्थर नुकीला था, जिससे उसके सिर से खून निकल आया था। उसके बाद वह थाने गया था। उसने थाने पर रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट प्र०पी० 01 है फिर पुलिस वाले उसे अस्पताल ले गये थे। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका उसके सामने बनाया था जो प्र०पी० 02 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 03 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि घटना की दिन तारीख महीना वह नहीं बता सकता है। वह पढ़ा लिखा नहीं है। उसने राजेश तोमर से पांच रूपए बीड़ी बन्डल के लिए लिये थे।

13. साक्षी अजाक अ०सा० 04 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना के संबंध में जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है।

14. साक्षी ए०एस०आई० तहसीलदार अ०सा० 03 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

15. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

16. प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अजाक अ०सा० 4 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध मात्र फरियादी पप्पन अ०सा० 1 के कथन शेष हैं, ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।



17. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी पप्पन अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी ने घटना के समय पत्थर उठाकर उसके सिर में मारा था, पत्थर नुकीला था, जिससे उसके सिर से खून निकल आया था। इस प्रकार फरियादी पप्पन अ०सा० 1 के कथनों से यही प्रकट होता है कि आरोपी ने फरियादी के सिर में एक बार पत्थर मारा था, जबकि फरियादी पप्पन की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 3 के अनुसार फरियादी के सिर में तीन कटे हुए घाव स्थित हैं एवं उक्त चोटों का कोई स्पष्टीकरण फरियादी द्वारा नहीं दिया गया है। फरियादी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसके सिर पर तीन चोटे कैसे आई थी, यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

18. फरियादी पप्पन अ०सा० 1 ने आरोपी द्वारा उसकी नुकीले पत्थर से मारपीट करना बताया है, जबकि चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 3 के अनुसार फरियादी के सिर में तीन कटे हुए घाव पाये गये हैं तथा चिकित्सक के मतानुसार उक्त चोटे कठोर एवं धारदार वस्तु से आना संभावित थी। फरियादी पप्पन अ०सा० 1 ने आरोपी द्वारा उसकी नुकीले पत्थर से मारपीट करना बताया है जबकि फरियादी के सिर पर कोई नुकीला घाव होना दर्शित नहीं है। चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार फरियादी के सिर में तीन कटे हुए घाव पाये गये हैं एवं फरियादी का ऐसा कहना नहीं है कि आरोपी द्वारा धारदार आयुध से उसकी मारपीट की गई थी। नुकीले पत्थर से कटा हुआ घाव आना संभव नहीं है। फरियादी का ऐसा कहना भी नहीं है कि पत्थर धारदार था। फरियादी पप्पन अ०सा० 1 के कथनों के अनुसार उसकी नुकीले पत्थर के द्वारा मारपीट की गई थी, परन्तु नुकीले पत्थर की कोई चोट, कोई नुकीला घाव फरियादी के शरीर पर होना दर्शित नहीं है। इसके अतिरिक्त फरियादी ने आरोपी द्वारा उसके सिर में एक बार पत्थर मारना बताया है, जबकि चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 3 के अनुसार फरियादी के सिर में तीन कटे हुए घाव स्थित थे। फरियादी का ऐसा कहना भी नहीं है कि आरोपी द्वारा तीन बार उसके सिर में पत्थर मारा गया था। फरियादी द्वारा उसके सिर में आई चोटों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। फरियादी पप्पन ने आरोपी द्वारा उसकी नुकीले पत्थर से मारपीट करना बताया है परन्तु फरियादी के शरीर पर नुकीले पत्थर की कोई चोट आना दर्शित नहीं है। इस प्रकार फरियादी पप्पन अ०सा० 1 के कथन की पुष्टि चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 3 से नहीं हो रही है। यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

19. आरोपी की ओर से यह बचाव लिया गया है कि फरियादी पप्पन शराब के नशे में जमीन पर गिर गया था एवं गिरने से उसके चोटे आई थी। यद्यपि फरियादी द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सुझाव को अमान्य किया गया है, परन्तु चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 3 में यह वर्णित है कि परीक्षण के समय फरियादी के नाक व सिर से एल्कोहल के बदबू आ रही थी। इस प्रकार चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 3 से यह तो स्पष्ट है कि फरियादी घटना के समय शराब पिये हुए था एवं नशे में था। डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 2 ने यह भी स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटें गिरने से आना संभव है। इसके अतिरिक्त फरियादी पप्पन अ०सा० 1 के कथन चिकित्सकीय रिपोर्ट से पुष्ट नहीं रहे हैं। फरियादी पप्पन अ०सा० 1 ने आरोपी द्वारा उसके एक बार पत्थर मारना बताया है जबकि फरियादी के सिर में तीन कटे हुए घाव पाये गये हैं, जिनका कोई स्पष्टीकरण फरियादी द्वारा नहीं दिया गया है। फरियादी के कथन की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी नहीं हो रही है। साक्षी अजाक अ०सा० 4 द्वारा भी फरियादी के कथनों का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में फरियादी का यह कथन की आरोपी ने उसकी मारपीट की थी, संदेहास्पद हो जाता है एवं बचाव पक्ष अधिवक्ता के

इस तर्क को अधिक बल मिलता है कि फरियादी शराब के नशे में जमीन पर गिर गया था एवं फरियादी को गिरने से चोटे आई थी।

20. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अजाक अ0सा0 4 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। फरियादी पप्पन अ0सा0 1 के कथनों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में फरियादी की एकल असम्पुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

21. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन का अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

22. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 25.09.2014 को 11:30 बजे बस स्टेण्ड गोहद में फरियादी पप्पन खों की धारदार पत्थर से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भा0दं0सं0 की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

23. समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 25/09/14 को 11:30 बजे बस स्टेण्ड गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी पप्पन खों को माँ बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया,, फरियादी पप्पन खों को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं उसी समय फरियादी पप्पन खों की धारदार पत्थर से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी राजेश तोमर को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा0दं0सं0 की धारा 294, 506 भा-2 एवं 324 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

24. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

25. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 26/02/2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

जानकारी हेतु प्र  
क उपयोग